न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

नैनाराम पुत्र श्री भलाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी
जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजीनगर

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :183/2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.8.25	प्रार्थी नैनाराम पुत्र श्री भलाराम जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजी नगर गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम श्री बालाजी नगर के खसरा नंबर 327/1 में ऑनलाईन तरमीम/नक्शा गलत राजस्व रैकर्ड में दर्ज कर दिया गया जिसे ऑनलाईन नक्शा मौके अनुसार सही बना कर राजस्व रैकर्ड में दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। प्रकरण में तहसीलदार लूणी के प़्त्रांक/भू.अ./2025/2374 दिनांक 05.08.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम श्री बालाजी नगर के खसरा संख्या 327/1 में से 05 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई जिसका नामान्तरकण की पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है। ऑनलाईन तरमीम त्रुटीवश गलत दर्ज हो गई जिसे मौके पर समर्पित भूमि एवं प्रार्थी खातेदारी भूमि प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी रिपोर्ट की अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम श्री बालाजीनगर के खसरा संख्या 327/1 की तरमीम को राजस्व रेकर्ड में मौका पर कब्जाकाश्त के अनुसार तहसीलदार जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 24.07.2025 के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। मौका फर्द दिनांक 24.07.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	